भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 07

जिसका उत्तर सोमवार, 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए पैकेज

07. मोहम्मद फैजल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स इकाई के लिए कोई वित्तीय सहायता/पैकेज प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों को जारी कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पी. राधाकृष्णन)

(क): जी, हां। आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 28.2.2014 को हुई अपनी बैठक में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., बेंगलूर को वित्तीय सहायता/पैकेज का अनुमोदन कर दिया है जिसमें केरल की इकाई भी शामिल है।

(ख): इसका ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

i) कार्यशील पूंजी के प्रयोजनार्थ योजनेतर ऋण के रूप में ₹75 करोड़ की राशि स्वीकृत करना।

ii) 1997 के वेतन संशोधन को लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में एक बार छूट के साथ अनुमोदन की तारीख से कार्यान्वित करना।

iii) 1997 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के अतिरिक्त प्रभाव के प्रति 7% वार्षिक ब्याज दर पर ₹61.04 करोड़ का योजनेतर ऋण 2 वर्ष की अवधि में (प्रथम वर्ष (2014-15) के लिए ₹29.34 करोड़ और द्वितीय वर्ष (2015-16) के लिए ₹31.70 करोड़) का प्रावधान करना।

iv) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए किसी भी वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के 10% की सीमा तक कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष करने हेतु कंपनी के बोर्ड को अधिकार प्रदान करना। इस संबंध में, कंपनी द्वारा भारी उद्योग विभाग के परामर्श से दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

v) पूर्ववर्ती पुनरूद्धार योजना के दौरान स्वीकृत की गई प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति एवं उन्नयन निधि के तहत कंपनी के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि के उपयोग के लिए समय-सीमा को 5 वर्ष बढ़ाना और प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण के लिए खर्च न की गई ₹2.63 करोड़ की शेष राशि के उपयोग के लिए समय-सीमा को 3 वर्ष की अवधि के लिए बढाना आवश्यक होगा।

vi) सरकारी ऋण पर ₹38.58 करोड की ब्याज राशि (31.03.2014 तक परिकलित) को माफ करना।

(ग) और **(घ)**: इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत निधियां जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

*****